कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्यप्रदेश,
ऑडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर

क्रमांक/ओ.ए.डी.2/नि.प्रति.क्र-193/जावक-10 दिनांकः- 12-5-2020
28.11.2019

प्रति,

कुलसचिव,
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय
रीवा, जिला-रीवा (म.प्र.)

विषयः- निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 07/2018 से 01/2020 तक पर कार्यवाही करने के संबंध में।

महोदय,

आपके कार्यालय के लेखाओं की विषयांकित अवधि की लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम, 2007 के नियम-197 के संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि इसे निरीक्षण प्रतिवेदन का उत्तर चार सप्ताह के अंदर इस कार्यालय को प्रेषित करें। यदि इस समय-सीमा में निरीक्षण प्रतिवेदन की सभी आपत्तियों का अंतिम उत्तर देना व्यवहारिक नही है तो अन्तरिम उत्तर भेजा जाये और उसमें उस दिनांक का उल्लेख अनिवार्यतः किया जाये जब तक अंतिम उत्तर भेज दिया जायेगा।

1. लेखापरीक्षा के दौरान आपके कार्यालय द्वारा जो जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध कराये गये थे उसी आधार पर यह निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार की गई है। यह कार्यालय किसी भी निरंक/गलत सूचना एवं जानकारी के लिये उत्तरदायी नहीं है।
2. पिछले लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति वर्तमान लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन के भाग-1(ख) में दर्शाई गई है। लंबित कंडिकाओं का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक 'क'** में दर्शाया गया है। इनके निराकरण को प्राथमिकता प्रदान करें। निरीक्षण प्रतिवेदन एवं नमूना जाँच टिप्पणी में सम्मिलित हानि/गबन धोखाधड़ी, अधिक भुगतान,अस्थाई अग्रिम एवं वसूली से संबंधित कंडिकाओं के निराकरण को वरीयता प्रदान करें।
3. वसूली/समायोजन की स्थिति में एम.पी.टी.सी.-6 एवं चालान की प्रति, अपलेखन की स्वीकृति और व्यय के व्हाउचर आदि की प्रमाणित जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित करने पर ही कंडिकाओं का निराकरण मान्य किया जायेगा।

निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

Rashmi 13/5/2020
व.लेखापरीक्षा अधिकारी/ओ.ए.डी-2

अनुलग्नक- क,ख,ग,घ,ड,च
सहपत्रः-...

क्रमांक/ओ.ए.डी.-2/न.प्रति.क्र.193/ दिनांकः-

प्रतिलिपिः- निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति प्रेषित कर अनुरोध है कि निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का उत्तर इस कार्यालय को निर्धारित समय-सीमा में भिजवाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

1- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग बल्लभ भवन, भोपाल मध्य प्रदेश।
1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13
2. आयुक्त/संचालक उच्च शिक्षा विभाग सतपुडा भवन, भोपाल मध्य प्रदेश।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

व.लेखापरीक्षा अधिकारी/ओ.ए.डी-2

वित्त/12
09/06/20

कार्यालय, कुलसचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा म.प्र के लेखाओं/अभिलेखों की अवधि 07/2018 से 01/2020 तक की लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

भाग–1

(क) प्रस्तावना

(1) सामान्य

कार्यालय कुलसचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा म.प्र के लेखाओं/अभिलेखों की अवधि 07/2018 से 01/2020 तक की नमूना लेखापरीक्षा कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्यप्रदेश, ग्वालियर के स्थानीय लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 10.02.2020 से 25.02.2020 तक की गई। यह लेखापरीक्षा सी. एण्ड ए. जी. (डी.पी.सी.) एक्ट 1971 की धारा 14 के प्रावधान के अधीन सम्पन्न की गई। लेखापरीक्षित इकाई (सिविल/निकाय/क्षेत्र के उपक्रम आदि) की श्रेणी में आते है व इकाई उच्च शिक्षा विभाग प्रशासनिक विभाग से सम्बन्धित है।

इसके पूर्व लेखा अवधि 08/2012 से 06/2018 तक की लेखापरीक्षा दिनांक 26.07.18 से 17.08.18 तक सम्पन्न की गई थी।

लेखापरीक्षा आवृत अवधि में जिन अधिकारियों ने कार्यालय प्रमुख और आहरण एवं संवितरण अधिकारी का कार्यभार संभाला उसका विवरण निम्न प्रकार है :–

1.(अ) कार्यालय प्रमुख

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	पदस्थापना की अवधि
1	प्रो0के0एन0सिंह यादव	कुलपति	दिनांक 08.07.15 से 13.09.2019 तक
2	श्री पीयूष रंजन अग्रवाल	कुलपति	दि.14.09.19 से अद्यतन

1. (ब) आहरण एवं संवितरण अधिकारी

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	पदस्थापना की अवधि
1	श्री लालसाहब सिंह	कुलसचिव	दिनांक 18.6.18 से 24.08.18 तक
2	डॉ. बृजेश सिंह	कुलसचिव	दिनाक 25.8.18 से 16.01.19 तक
3	डॉ. पुष्पा सोनवानी	कुलसचिव	दिनांक 17.1.19 से 10.03.19 तक
4	श्री लालसाहब सिंह	कुलसचिव	दिनांक11.03.19 से 06.02.19 तक
5	डॉ. बृजेश सिंह	कुलसचिव	दिनांक 07.02.2020 से निरंतर

1 (स) वित्त नियंत्रक का पदभार निम्न अधिकारियों ने संभाला।

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	पदस्थापना की अवधि
1	डॉ0पुष्पा सोनवानी	वित्त नियंत्रक	दिनांक जुलाई 2018से18.07.2019 तक
2	डॉ0 प्रवीण कुमार सिंह	वित्त नियंत्रक	दिनांक 19.7.19 से अद्यतन

(2) सामान्य ढॉचा/कियाकलाप/कार्यालय स्थापना का उद्देश्य–रीवा शहर से 05 किलोमीटर की दूरी पर रीवा–सिरमौर रोड पर विश्वविद्यालय का प्रशासकीय भवन, शैक्षणिक भवनों के साथ पुस्तकालय, स्टेडियम एवं अधोसंरचना सहित भू–भाग। कार्यालय का क्रियाकलाप शैक्षणिक, शोध–अनुसंधान एवं परीक्षा संबंधी कार्य है एवं स्थापना का उद्देश्य— गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा, शोध एवं अंवेषण संबंधी कार्य तथा परीक्षाओं का आयोजन व परिणाम प्रकाशन है।

(3) आंतरिक जांच एवं पर्यवेक्षण/प्रक्रियाओ का अनुपालन/रिकार्डो की सामान्य स्थिति।

(अ) नियंत्रण अधिकारी द्वारा अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के कार्यालयीन अभिलेखों का वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जाना चाहिए। उक्त प्रकिया का पालन नहीं किया गया।

(ब) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 48 (2) के प्रावधान अनुसार स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग के आवासीय संपरीक्षा द्वारा की गई लेखापरीक्षा का पालन प्रतिवेदन वर्ष 2018–19 का अप्रस्तुत रहा।

(4) बजट आवंटन एवं व्यय :–

कार्यालय के विगत वर्षो के बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्न प्रकार थी–

(राशि: करोड में)

मद	वित्त वर्ष 2016–17		वित्त वर्ष 2017–18		वित्त वर्ष 2018–19	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
नियमित(वेतन एवं भत्ते,सामान्य सेवा व्यय, परीक्षा एवं अन्य व्यय)	7419.67	6268.65	8858.40	6534.18	7161.13	5298.82

(5) विगत तीन वर्षो में अर्जित राजस्व एवं व्यय

(राशि लाख में)

वर्ष	प्राप्ति की मदें	शीर्ष	धनराशि प्राप्त	धनराशि प्रेषण
2016–17	परीक्षा एवं अन्य	आयोजना	4874.42	6268.65
2017–18	परीक्षा एवं अन्य	आयोजना	4996.99	6534.18
2018–19	परीक्षा एवं अन्य	आयोजना	5368.74	5298.82

(वित्त वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में अधिक व्यय वि0वि0 की बचत राशि से किया गया है। वि0वि0 की पूर्व वित्त वर्षो की सावधि जमा (एफ.डी.आर.) की राशियों से आवश्यकता अनुसार व्यय की पूर्ति की गई है।)

(6) स्वीकृत एवं कार्यरत पद :–

कार्यालय हेतु स्वीकृत एवं कार्यरत पद की पदवार स्थिति निम्नानुसार थी :–

स. क्र.	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त संख्या
1.	कुलसचिव	प्रथम	01	01(प्रतिनियुक्ति)	00
2.	उपकुलसचिव	प्रथम	03	02	01
3.	परीक्षा नियंत्रक	प्रथम	01	00	01
4.	वित्त नियंत्रक	प्रथम	01	01(प्रतिनियुक्ति)	00
5.	प्रोफेसर	प्रथम	17	00	17
6.	सहायक कुलसचिव	द्वितीय	05	04	01
	एसोसिएट प्रोफेसर	द्वितीय	21	03	18
7.	असिस्टेंट प्रोफेसर	द्वितीय	35	18	17
8.	तृतीय श्रेणी संवर्ग	तृतीय	213	131	82
9.	चतुर्थ श्रेणी संवर्ग	चतुर्थ	144	96	48
	कुल योग		441	256	185

(7) खण्ड द्वारा कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) म. प्र. ग्वालियर को प्रपत्र–61 प्रेषित किये जा रहे है । मासिक लेखें, मण्डल को भेजे जाते है।

(8) पर्यावरण से सम्बन्धित निम्न मदों में वातावरण प्रभावित होने की जानकारी कार्यालय में निम्नानुसार है ।

क्रम सं.	मदों के नाम जिससे पर्यावरण प्रभावित होता हैं	वातावरण कितना प्रभावित हुआ (इकाई / प्रतिशत)	टिप्पणी
1	वायु	विश्वविद्यालय मैदान में वायु प्रदूषण नहीं है।	
2	जल		
3	जमीन		
4	ध्वनि		
5	बैटरीज		
6	प्लास्टिक		
7	जैव–चिकित्सा अपशिष्ट		

8	जोखिम वाले अपशिष्ट (रेडियोधर्मिता–ऐसे चिकित्सालयों में कोबाल्ट मशीने प्रयोग में लायी जाती हैं।)		
9	परमाणु चिकित्सा–रेडियोधर्मी		

(9) सूचना प्रौद्योगिकी की लेखा परीक्षा (आई.टी. लेखापरीक्षा)– कार्यालय में निम्न से संबंधित जानकारी संधारित की गयी है।

क्र	विवरण	मात्रा	मूल्य	टिप्पणी
1	हार्डवेयर	83	4337720.00	
2	सॉफ्टवेयर	10	63600.00	
3	नेटवर्किंग			
4	आई.टी. अनुप्रयोगों			
5	आर.डी.बी.एम.एस. डाटाबैंक			
6	लेखा परीक्षा इकाई में कम्प्यूटरीकरण– विभाग में इ. निविदा, यातायात गणना।	01	26314.00	ई–निविदा एम.पी. गर्वन्मेंट पोर्टल के माध्यम से

भाग–2 : लेखापरीक्षा निष्कर्ष

(क) गम्भीर वित्तीय अनियमितताऐं–निरंक

(ख) अन्य अनियमितताऐं

कंडिका 01:– राष्ट्रीय सेवा योजना(एन.एस.एस.) के शिविर गतिविधि के अंतर्गत प्राप्त आबंटन, अधिनस्थ संस्थानों को विलम्ब से जारी किया जाना राशि रूपये 31.05 लाख। परिणामस्वरूप संस्थानों द्वारा रा.से.यो. के विशेष शिविरों का आयोजन न किया जाना। अवरूद्ध राशि रूपये 12.94 लाख।

राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य सामुदायिक सेवा के जरिये छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना है इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये छात्र–स्वयं सेवकों तथा कार्यक्रम अधिकारियों को सकारात्मक और उत्पादक कार्यों में लगाया जाता है जिसमें श्रमदान, सामाजिक सुधार, सामुदायिक सौहार्द, सामुदायिक परिसम्पत्ति का निर्माण, सहायता कार्य रक्तदान, पर्यावरण सुरक्षा, साक्षरता अभियान, स्वास्थ्य शिक्षा अभियान आदि जैसे विभिन्न अभियानों में छात्रों को शामिल किया जाता है।

कार्यालय कुल सचिव अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा की लेखापरीक्षा अवधि 07/2018 से 01/2020 के राष्ट्रीय सेवा योजना संबंधी अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग वल्लभ भवन भोपाल के एक ही आदेश क्रमांक 451/176/एन.एस.एस./18 अड़तीस दिनांक 31/08/2018 के द्वारा वर्ष 2018–19 में उपयोग किये जाने हेतु नियमित गतिविधि के लिये राशि रूपये 2500000/–,860000/–, एवं 620000/– तथा विशेष शिविर के आयोजन के लिये राशि रूपये 2245000/–, 770000/–,एवं 560000/– आबंटित किये गये थे। इसके पश्चात् पत्र कमांक/578/एन.एस.एस./18 अड़तीस दिनांक 26/10/2018 के द्वारा राशि रूपये 500/– प्रत्येक, नियमित गतिविधि एवं विशेष शिविर हेतु आबंटित किये गये थे। इस प्रकार नियमित गतिविधि के लिये कुल राशि रूपये 3980500/– एवं विशेष शिविर के लिये कुल राशि रूपये 3575500/– आबंटित किये गये थे। किन्तु कार्यालय द्वारा विशेष शिविर हेतु आबंटित राशि को लगभग 07 माह तक अवरूद्ध रखा जाकर अधिनस्थ विभिन्न संस्थाओं को 28.03.2019 को राशि का वितरण किया जाना पाया गया। राशि विलम्ब से जारी किये जाने के परिणामस्वरूप इन संस्थाओं द्वारा विशेष शिविर का आयोजन नहीं किया जा सका परिणामस्वरूप अधिनस्थ संस्थाओं के पास राशि रूपये 1293750.00 अवरूद्ध रखी हुई है। (विवरण अनुलग्नक ख में दर्शाया गया है।) साथ ही विशेष शिविर हेतु प्रदाय राशि रूपये 3575500/– में से राशि रूपये 3105000/– ही वितरण किया जाना पाया गया है अर्थात राशि रूपये 470500 (3575500–3105000) का वितरण किया जाना नहीं पाया गया है।

आगे जॉच में पाया गया कि वर्ष 2019–20 में भी शासन द्वारा रा.से.यो. की नियमित गतिविधि एवं विशेष शिविर कार्यक्रम के लिये निम्नलिखित राशियॉ आबंटित की गयी थी।

क्र.	आदेश क्रमांक	नियमित गतिविधि हेतु राशि रूपये	विशेष शिविर हेतु राशि रूपये
1	मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 785/97/रासेयो/19/38 दिनांक 17.10.2019	860000.00	770000.00
	पत्र क्रमांक 787/97/रासेयो/19/38 दिनांक 17.10.2019	620000.00	560000.00
	पत्र क्रमांक 785/97/रासेयो/19/38 दिनांक 17.10.2019	2500000.00	2245000.00
	कुल राशि रूपये	39,80,000.00	35,75,000.00

अधीनस्थ संस्थाओं को उपर्युक्त राशि का वितरण कार्यालय द्वारा किया जाना नहीं पाया गया है।

इस प्रकार राशि का विलम्ब से, तथा अधिनस्थ संस्थाओं को पूर्ण राशि जारी न कर एवं वर्ष 2019–20 हेतु प्राप्त राशि जारी न करने से उक्त योजना का लाभ छात्रों को प्राप्त नहीं हो सका।

लेखा परीक्षा दल द्वारा, आबंटित राशि के 07 माह तक अवरूद्ध रखे जाने, शासन द्वारा एक ही पत्र क्रमांक से दो बार व एक ही दिनांक से राशि का तीन बार प्रथक–प्रथक आबटन किये जाने के संबंध में किये गये पत्राचार के बारे में, अधिनस्थ संस्थाओं द्वारा विशेष शिविर का आयोजन नहीं किये जाने पर कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में, वर्ष 2018–19 की विशेष शिविर हेतु आबंटित राशि में से राशि रूपये 470500/– का वितरण नही किये जाने के संबंध में, वर्ष 2019–20 में भी शासन द्वारा रा.से.यो. की नियमित गतिविधि एवं विशेष शिविर कार्यक्रम के लिये अधिनस्थ संस्थाओं को आबंटित की गयी राशि का वितरण नहीं किया जाकर अवरूद्ध रखे जाने के संबंध में, तथा एन.एस.एस. के विशेष शिविर के आयोजन हेतु अधिनस्थ संस्थाओं को राशि जारी किये जाने का उत्तरदायित्व के संबंध में, पूछे जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा उत्तर में बताया गया कि सक्षम स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण तथा विभाग में कर्मचारी की कमी के कारण राशि आबंटन में देर हुई है, अधिनस्थ संस्थाओं को शिविर आयोजन के संबंध में रा.से.यो. विभाग द्वारा पत्र भेजा गया है, सत्र 2018–19 की विशेष से शिविर आबंटित राशि में से 470500.00 वि0वि0 स्तर व हेतु अन्य शिविर का आयोजन रोकी गई थी किन्तु शिविर का आयोजन कतिपय कारणों से नहीं हो पाया था। सत्र 2019–20 में वि0 शिविर व नियमित गतिविधि की पत्रावली स्वीकृत हो गयी है शिविर की अभी स्वीकृति नहीं हुई है सक्षम अधिकारियों की ओर स्वीकृति प्रदान करने बावत भेजी गई है। एन0एस0एस0 का विशेष शिविर का आयोजन हेतु प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कुलसचिव जी की ओर भेजा जाता है जो कि सक्षम स्वीकृति के लिये भेजा जा चुका है।

उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि शासन द्वारा प्रदाय राशि को विलम्ब से अधिनस्थ संस्थाओं को जारी किया गया एवं अधिनस्थ संस्थाओं द्वारा विशेष शिविर का आयोजन नहीं किया गया जिससे राशि जारी किये जाने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी।

स्थिति शासन/विभागाध्यक्ष के ध्यान में लायी जाती है।

कंडिका 02:– गवर्मेन्ट ई.मार्केट प्लेस(Gem) से वाहन का क्रय न किया जाकर निजी फर्म स्टार ऑटोमोबाइल्स सतना से अधिक कीमत पर, वाहनों का क्रय किया जाना अधिक भुगतान राशि रूपये 1.69 लाख एवं ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया का पालन न किया जाना व्यय राशि रूपये 15.10 लाख।

मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 की कंडिका 11.2.1 के अनुसार जहॉ क्रय की जाने वाली सामग्री का अनुमानित मूल्य 05 लाख से अधिक हो वहां खुली निविदा से क्रय की कार्यवाही की जाएगी। खुली निविदा हेतु ई–टेण्डरिंग प्रणाली का उपयोग कराना अनिवार्य होगा विभागों के पास ई–पोर्टल की सुविधा न होने की दशा में उनके द्वारा ई–टेण्डरिंग प्रणाली हेतु केन्द्र अथवा राज्य शासन के शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान के पोर्टल का उपयोग किया जा सकेगा।

कार्यालय कुल सचिव अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा की लेखापरीक्षा अवधि 07/2018 से 01/2020 के निर्माण कार्य वाहन क्रय संबंधी अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा वाहनों के क्रय हेतु ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया का पालन किया जाना नहीं पाया गया है। कार्यालय द्वारा गवर्मेन्ट ई.मार्केट प्लेस(Gem) से वाहन क्रय किये जाने हेतु दरें/स्टीमेट प्राप्त की गई थी जिसमें विभिन्न मॉडल के वाहनों की ऑनलाइन कीमत दर्शायी गयी थी जिसमें बोलेरो वाहन की कीमत का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.	मॉडल का नाम	राशि रूपयों में
1.	बोलेरो डिफेंस कैम्पर पी.एस.4 डब्लयू.डी.(महेन्द्रा)	5,95,194.00
2.	बोलेरो कैम्पर पी.एस.4 डब्लयू.डी.बी.एस.4 (महेन्द्रा)	6,01,594.00
3.	बोलेरो बी.एम.टी. प्लस 1.2 बी.एस.4 (महेन्द्रा)	4,78,587.00

कार्यालय द्वारा विभिन्न फर्मों से एस्टीमेट मंगाया गया जिसमें निम्न फर्म द्वारा बोलेरो वाहन की दरें निम्नानुसार प्रदान की गई थीं।

क्र.	फर्म का नाम	वाहन का विवरण	राशि रूपयों में
1.	स्टार ऑटोमोबाइल्स सतना	बोलेरो बिग(पिकप)(407)	6,57,393.00
		आर.टी.ओ.	44,544.00
		इन्श्योरेन्स	29,936.00
	योग		7,31,873.00

आगे जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा दिनांक 02.04.2019 को दो बोलेरो वाहन (पिकप) के देयकों के समायोजन बावत लेख किया गया था विवरण निम्नानुसार है।

	बोलेरो (पिकप)क्र.01		बोलेरो (पिकप)क्र.02
क्र.	मद का विवरण	राशि रूपयों में	राशि रूपयों में
1	कीमत	686326.00	686326.00
2	बीमा	17926.00	17926.00
3	टैक्स	43980.00	43980.00
4	हेन्डलिंग	2000.00	2000.00
5	कास्टवेन	1000.00	1000.00
6	आर.एस.ए.	1220.00	1220.00
7	आर.टी.ओ.	2520.00	2520.00
	कुल योग	7,54,972.00	7,54,972.00

कार्यालय द्वारा दो बोलेरो वाहनों का कुल राशि रूपये 15,09,944.00 क्रय किया गया है।

इस प्रकार गवर्मेन्ट ई.मार्केट प्लेस(Gem) से वाहन की अधिकतम कीमत [illegible] 6,01,594.00 थी तथा स्टार ऑटोमोबाइल्स सतना से वाहन की कीमत रू 6,57 [illegible]

इसके पश्चात् भी निजी फर्म स्टार ऑटोमोबाइल्स सतना से वाहन का क्रय राशि रूपये 686326.00 से किया गया है जो कि गवर्मैन्ट ई.मार्केट प्लेस(Gem) से वाहन की अधिकतम कीमत राशि रूपये 6,01,594.00 से राशि रूपये 84732.00 अधिक था। अर्थात कुल अधिक व्यय राशि रूपये 169464.00(84732X2) हुई।

इस प्रकार कार्यालय द्वारा वाहनों के क्रय हेतु ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाकर एवं गवर्मैन्ट ई.मार्केट प्लेस(Gem) से वाहन का क्रय न किया जाकर निजी फर्म स्टार ऑटोमोबाइल्स सतना द्वारा दर्शायी गई कीमत से अधिक कीमत पर वाहनों का क्रय किया जाना पाया गया है।

आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय द्वारा उत्तर में बताया गया कि उक्त वाहन परीक्षा एवं गोपनीय आवश्यक कार्य को देखते हुये क्रय की कार्यवाही की गई थी फर्मों से कोटेशन प्राप्त कर कार्यपरिषद से अनुमोदन पश्चात ही क्रय की कार्यवाही की गई थी।

उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि कार्यालय न तो भंडार कय नियम के अनुसार ई–निविदा आमंत्रित कर सामग्री कय की गई वहीं गवर्मैन्ट ई. मार्केट प्लेस (Gem) के कम दर से सामग्री का कय न किया जाकर कोटेशन द्वारा अधिक दर पर सामग्री का कय किया गया।

स्थिति शासन/विभागाध्यक्ष के ध्यान में लायी जाती है।

कंडिका 03:– कार्यालय की रोकड़ बही ऋणात्मक दर्शाते हुये संधारित की जाना।

विश्वविद्यालय वित्तीय संहिता के अध्याय 14 के बिन्दु कमांक 269 के अनुसार प्रत्येक ऐसा अधिकारी जिस पर विश्वविद्यालय की देय राशि एकत्रित करने का एवं ऐसा अधिकारी जिस पर विश्वविद्यालय निधि से व्यय करने का उत्तरदायित्व है, वह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सब लेन देन का लेखा जोखा जिनसे वह संबंधित है उस रीति से जैसा कि प्रावधान हो रखे जायेंगे तथा संबंधित अधिकारी द्वारा वित्त अधिकारी/ कुल सचिव के सभी वांछित प्रतिवेदन सही सही एवं समयावधि में प्रेषित किये जायेंगे यह आवश्यक है कि समस्त लेखा इस तरह रखा जाये कि भुगतान एवं लेन देन के प्रारंभिक अभिलेख इतने स्पष्ट एवं संतोषप्रद तथा स्वतः पूर्ण हों कि कहीं भी उन्हें आवश्यकतानुसार प्रभावी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके एवं बिन्दु क्र. 268 के अनुसार लेखा रखे जाने एवं व्यय पर नियंत्रण हेतु बजट सह लेखा में दर्शित शीर्षों के नामों का विभागीय अधिकारियों द्वारा कड़ाई से पालन किया जावेगा।

म0प्र0 कोष संहिता भाग–1 के सहायक नियम 53 के अनुसार रोकड़ बही की प्रतिदिन लेखाबंदी कर अंतिम शेष निकालना चाहिए तथा अगले दिन रोकड़ बही के अंतिम शेष को प्रारंभिक शेष के रूप में दर्ज कर कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। प्रावधानानुसार माह के दौरान समस्त आहरणों का पाक्षिक सत्यापन कार्यालय प्रमुख द्वारा किया जाना चाहिए तथा इस आशय का प्रमाण पत्र रोकड़ बही में अंकित किया जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग 2 के अध्याय एक के सहायक नियम 53(3) के अनुसार प्रतिदिन नही तो रोकड़ बही नियमित अन्तरावधि में बन्द किया जाना चाहिये तथा पूर्ण रूप से जांची जाना चाहिये। रोकड़ बही के प्रभारी अधिकारी को योगों की जांच स्वयं करना चाहिये अथवा किसी जिम्मेदार अधीनस्थ जो लिखने वाले से भिन्न हो कराना चाहिये तथा इस बाबत संक्षिप्त हस्ताक्षर करना चाहिये, तथा प्रमाण पत्र अंकित करना चाहिये कि योगों की जांच मेरे द्वारा की गई तथा सही पाया गया। परन्तु उक्त नियम का पालन नहीं किया जा रहा है।

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की रोकड बही की नमूना जॉच में निम्न अवधियों में रोकड़बही को ऋणात्मक रुप से संधारित किया जाना पाया गया–––

Sr.no	Cashbook no.	from page no./Date	to page no./Date
1	218	61/03.08.2018	72/10.08.2018

2	220	51/04.01.2018	71/16.01.2019
3	222	11/08.042019	15/12.04.2019
		18/16.04.2019	20/22.04.2019
		76/29.05.2019	81/01.06.2019
		90/13.06.2019	98/21.06.2019
4	223	02/22.06.2019	06/27.06.2019
		15/03.07.2019	17/05.07.2019
		19/08.07.2019	20/09.07.2019
		22/10.07.2019	24/12.07.2019
		38/31.07.2019	39/01.08.2019
5	224	83/04.01.2020	98/15.01.2020
6	225	2/16.01.2020	12/22.01.2020

रोकड़ बही को ऋणात्मक रुप में संधारित किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

चयनित माह 03/2018 में रोकड़बही क्र.221 के पृष्ठ क्र 39 में व्यय राशि रु. 1675458/- अंकित की गयी है, परंतु आगे के पृष्ठ पर इसे राशि रु. 1675457 से अग्रेनित किया जाना पाया गया।

रोकड़ बही क्रमांक 220 के पृष्ठ 05 दिनांक 07.12.2018 राशि रु. 75510/- की आय अंकित की गयी, परंतु वास्तव में राशि रु. 72510/- की आय होना जाना पाया गया। इस प्रकार से रोकड़बही में राशि रु. 3000/- अधिक अंकित की गयी।

इससे स्पष्ट है कि रोकड़ बही का संधारण अनियमित एवं प्रतिदिन नहीं किया जा रहा है साथ ही रोकड़ बही के योगों की जांच रोकड़ बही लिखने वाले कर्मचारी के अतिरिक्त अन्य कर्मचारी से नहीं करायी जा रही है, जो कि अनियमितता की श्रेणी में आता है।

आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा उत्तर में बताया गया कि रोकड़ बही का संधारण किया जाकर उपसंचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा से अंकेक्षण कार्य कराया जाता है उक्त दर्शित त्रुटि का सुधार कर संपरीक्षा को अवगत कराया जावेगा। टीप गृहित की गई भविष्य में पालन किया जावेगा।

उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि रोकड़ बही ऋणात्मक लिखा जाना म.प्र. वित्तीय संहित एवं म.प्र. कोष संहिता के नियमों के विपरीत है।

स्थिति शासन/विभागाध्यक्ष के ध्यान में लायी जाती है।

कंडिका 04:- दीर्घावधि से अस्थाई अग्रिमों का समायोजन लंबित रहना राशि [illegible] लाख।

विश्वविद्यालय वित्तीय संहिता के नियम 216 से 244 के अनुसार विश्वविद्यालय [illegible] दिये गये अग्रिमों के समायोजन का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व कुल सचिव का होगा तथा [illegible] के समायोजन न होने की दशा में नवीन अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जावेगा। अग्रिमों का [illegible] तत्काल किया जाना आवश्यक है, तथा किसी भी दशा में एक माह के अंदर अथवा [illegible] अनिवार्य रूप से किया जायेगा। यदि संबंधित विश्वविद्यालय सेवक अग्रिमों का [illegible] करता तो तब तक उसका वेतन आहरित नहीं किया जावेगा जब तक वह ऐसा [illegible] वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत शेष अग्रिमों की सूची तैयार कर कुलसचिव [illegible] वसूली/समायोजन की प्रभावी कार्यवाही की जावेगी **तथा सूची की एक प्रति [illegible] के लिये की गयी कार्यवाही के विवरण के साथ 30 अप्रैल तक कुलाधिपति [illegible] जावेगी।**

म. प्र. शासन वित्त विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क.1927/2001/सी/चार दिनांक 11 अक्टूबर 2001 द्वारा समस्त विभागों को यह निर्देशित किया गया था कि शासकीय सेवको द्वारा लिये अग्रिमों का समायोजन अग्रिम प्राप्त करने के दिनांक से 3 माह तक अथवा वित्तीय वर्ष के अंतिम माह (मार्च) जो भी पहले हो तक समायोजन कराये जावे। यदि उपरोक्तानुसार अग्रिम का समायोजन नहीं किया जाता है तो जिम्मेदारो से अग्रिम राशि पर वही ब्याज वसूल किया जाएगा, जो स्टेट बैंक आफ इण्डिया सावधि जमा पर ब्याज देता है।

कार्यालय कुलसचिव अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा द्वारा लेखापरीक्षा अवधि मे संस्था के विभिन्न शाखाओ से अधिकारियों/कर्मचारियों को दिये गये अस्थाई अग्रिमों से संबंधित संधारित पंजियों की जांच में पाया गया कि संस्था के विभिन्न शाखाओं द्वारा लेखापरीक्षा अवधि तक अधिकारियों/कर्मचारियों को जो अस्थाई अग्रिम प्रदान किये गये थे उनमें से राशि रू.10977189/–के अग्रिमों का समायोजन/वसूली उपरोक्त प्रावधान अनुसार निर्धारित समयावधि समाप्त होने के बावजूद अभी तक नहीं की गयी। विस्तृत विवरण **अनुलग्नक ग** में दर्शाया गया है। अनुलग्नक के कमांक 21,22,28,29,140 पर अंकित अधिकारियो/कर्मचारियो को किस प्रयोजन हेतु अग्रिम प्रदाय किया गया अग्रिम पंजी में दर्ज नहीं पाया गया अतः स्पष्ट नही हो सका कि उपरोक्त अधिकारियो/कर्मचारियों को अग्रिम किस प्रयोजन हेतु प्रदाय किया गया था।

आगे लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि उक्त शेष अग्रिमों जिनका विवरण अनुलग्नक में दर्शित है में से कुछ अग्रिम ऐसे है जो कि कार्यालय के भृत्यो को दिये गये है जैसे उदाहरणार्थ –श्री रमाकात मिश्र भृत्य को राशि रू. 750000/– अग्रिम वसूली हेतु लंबित है जो कि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। तथा कुछ अग्रिम ऐसे है जो वर्ष 1982–83 से समायोजन हेतु लंबित है इसके बावजूद उनके समायोजन/वसूली हेतु संस्था द्वारा कोई विशेष प्रयास नहीं किये गये और न ही उक्त प्रावधानानुसार अग्रिम देते समय पूर्व अग्रिम का समायोजन न होने की दशा में नवीन अग्रिम स्वीकृत नहीं किये जाने की प्रकिया का भी पालन नहीं किया गया तथा अग्रिम प्रदाय करते समय अग्रिमो को रोकड़ बही में अंतिम व्यय के रूप में दर्शाया गया है जो कि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है तथा प्रदाय किये गये अग्रिमों के दुरूपयोग की सभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। पूर्व लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 08/2012 से 06/2018 की कंडिका क्र.08 में भी इसी प्रकार की आपत्ति ली गई थी किन्तु कोई सुधार किया जाना नहीं पाया गया।

आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा उत्तर में बताया गया कि लंबी अवधि के अग्रिम शासन के कैलेण्डर अनुसार खेल गतिविधियों के आयोजन हेतु संचालक शारीरिक शिक्षा विभाग की अनुशंसा के आधार पर संबंधित टीम मैनेजर को प्रदाय किये जाते हैं जो कि विश्वविद्यालयीन कर्मचारी नही होने के कारण समायोजन की कार्यवाही में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होती है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अग्रिम, कर्मचारियों की कमी के कारण केवल गोपनीय/परीक्षा संबंधी आवश्यक कार्य हेतु सहायक कुलसचिव(गोपनीय) की अनुशंसा के आधार पर प्रदाय किये जाते हैं इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अग्रिम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रदाय नहीं किये जाते। बकाया अग्रिम सूची की प्रति वसूली/समायोजन के लिये की गई कार्यवाही विवरण के साथ कुलाधिपति महोदय की ओर प्रेषित नहीं की गई। अग्रिमों के विरूद्ध निर्धारित समय पर व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में 12 प्रतिशत ब्याज की वसूली की जाती है।

कार्यकम समन्वयक (रासेयो) द्वारा बताया गया कि लंबित अग्रिमों का समायोजन/वसूली कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जावेगा।

उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि लंबित अग्रिमों की वसूली/समायोजन के संबंध में कार्यालय द्वारा कोई प्रयास किया जाना नहीं पाया गया। साथ ही विश्वविद्यालय वित्तीय संहिता के अनुसार अग्रिमों की सूची की एक प्रति वसूली/समायोजन के लिये की गयी कार्यवाही के विवरण के साथ 30 अप्रैल तक कुलाधिपति को प्रेषित किया जाना नहीं पाया गया है।

स्थिति शासन/विभागाध्यक्ष के ध्यान में लायी जाती है।

कंडिका 05:–विश्वविद्यालय से संबद्ध शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों से संबद्धता शुल्क एवं अधिभार की राशि वसूल न किया जाना राशि रूपये 66.65 लाख ।

विश्वविद्यालय परिनियम कमांक 27–28 के पैरा 13(3)(11)(111) के अनुसार विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों को प्रत्येक वर्ष अपनी सम्बद्धता निरंतर बनाये रखने हेतु निर्धारित सम्बद्धता शुल्क प्रतिवर्ष माह जुलाई तक जमा कराया जाना चाहिए। यदि संबंधित महाविद्यालयों द्वारा उक्त माह तक सम्बद्धता शुल्क जमा नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में उनसे 1 अगस्त से 31 अगस्त तक 25 प्रतिशत, 1 सितम्बर से 30 सितम्बर तक 50 प्रतिशत तथा 1 अक्टूबर के बाद शत प्रतिशत अधिभार के साथ सम्बद्धता शुल्क जमा कराया जाना चाहिए तथा पैरा 14 के अनुसार यदि निरंतर दो वर्षों तक लगातार शुल्क जमा नहीं कराया जाता है तो संबंधित महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त की जानी चाहिए।

कार्यालय कुलसचिव अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों से संबंधित उपलब्ध करायी सम्बद्धता शुल्क पंजी की जांच में पाया गया कि संभाग रीवा के विभिन्न जिलों के कुल 238 महाविद्यालय (62 शासकीय एवं 176 अशासकीय महाविद्यालय) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं। जिनमें से वर्ष 2019 से 01/2020 (दिनांक 31.01.2020 की स्थिति में) एवं इसके पूर्व से 25 शासकीय महाविद्यालयों से सम्बद्धता शुल्क अधिभार सहित राशि रू. 5527000/– वर्ष 2017–18 से 04 अशासकीय महाविद्यालयों से राशि रू. 160000/– तथा वर्ष 2018–19 से 14 अशासकीय महाविद्यालयो से राशि रू. 977500/–अत: इस प्रकार कुल राशि रू. 6664500/–वसूली हेतु लंबित है। विवरण **अनुलग्नक घ** में दर्शाया गया है। पूर्व लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 08/2012 से 06/2018 की कंडिका क्र. 10 में भी इसी प्रकार की आपत्ति ली गई थी। किन्तु कार्यालय द्वारा इस संबंध में कोई सार्थक प्रयास किया जाना नहीं पाया गया।

आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा उत्तर में बताया गया कि अशासकीय महाविद्यालयों से संबद्धता शुल्क की दोनो सत्रों की राशि जमा कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है, एवं सत्र 2019–2020 तक कुल 25 शासकीय महाविद्यालयों के द्वारा संबद्धता शुल्क एवं अधिभार की राशि 55,27,000/– शेष बकाया है। अत: उपर्युक्त राशि जमा कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि विश्वविद्यालय परिनियम के अनुसार विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों को प्रत्येक वर्ष अपनी सम्बद्धता निरंतर बनाये रखने हेतु निर्धारित सम्बद्धता शुल्क प्रतिवर्ष माह जुलाई तक जमा कराया जाना चाहिए एवं पश्चात अवधि हेतु अधिभार एवं संबद्धता समाप्ति संबंधी कार्यवाही की जानी चाहिये। जिसका पालन किया जाना नहीं पाया गया है।

स्थिति शासन/विभागाध्यक्ष के ध्यान में लायी जाती है।

कंडिका 06:–बजट के आय–व्यय के प्रस्तावित एवं वास्तविक आंकड़ों में अंतर होना, बजट अव्यवहारिक/अवास्तविक रूप से तैयार किया जाना।

विश्वविद्यालय वित्तीय संहिता के नियम 142 के अनुसार विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत प्रतिवर्ष महासभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले अनुमानित आय–व्यय पत्रक, पूरक अथवा अतिरिक्त अनुदानों को तैयार करने का दायित्व वित्त अधिकारी का होगा जो संबंधित विभागों द्वारा प्रदाय किए गए विवरणों पर आधारित होगा ऐसे विवरणों के सही होने का उत्तरदायित्व संबंधित विभाग का होगा एवं नियम 144 के अनुसार विभागों द्वारा प्रेषित प्रस्तावों का वित्त अधिकारी गहन परीक्षण करेगा तथा विगत वित्तीय वर्ष के वास्तविक आंकड़ों के प्रकाश में अगले वर्ष के आंकड़ों का समावेश कर, प्रस्तावित बजट विस्तृत टीप के साथ कुल सचिव को प्रस्तुत करेगा।

कार्यालय कुल सचिव अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा की लेखापरीक्षा अवधि 07/2018 से 01/2020 के बजट संबंधी अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2018–19 में कार्यालय द्वारा मुख्य रोकड़ बही के प्रस्तावित पुनरीक्षित आय बजट एवं वास्तविक आय बजट में 19.17 प्रतिशत, प्रस्तावित पुनरीक्षित व्यय बजट एवं वास्तविक व्यय बजट में 33.02 प्रतिशत तक सेल्फ सर्पोटिंग प्रोग्राम(एस.एस.पी.) की रोकड़ बही के प्रस्तावित पुनरीक्षित आय बजट एवं वास्तविक

आय बजट में 34 प्रतिशत तक, प्रस्तावित पुनरीक्षित व्यय बजट एवं वास्तविक व्यय बजट में 29.10 प्रतिशत तक, तथा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की रोकड़ बही के प्रस्तावित पुनरीक्षित आय बजट एवं वास्तविक आय बजट में 27.43 प्रतिशत तक, प्रस्तावित पुनरीक्षित व्यय बजट एवं वास्तविक व्यय बजट में 68.09 प्रतिशत तक का अंतर पाया गया है। विवरण निम्नानुसार है।

राशि (रूपये लाख में)

		आय			व्यय		
	वर्ष	प्रस्तावित	वास्तविक	अंतर/प्रतिशत	प्रस्तावित	वास्तविक	अंतर/प्रतिशत
मुख्य रोकड़ बही	2016–17	11016.45	10329.00	(687.45)6.24%	11786.42	10053.69	(1732.73)14.70%
मुख्य रोकड़ बही	2017–18	14227.47	11972.62	(2254.85)15.84%	13507.34	12045.75	(1461.59)10.82%
मुख्य रोकड़ बही	**2018–19**	10781.59	12848.58	(–2066.99)19.17%	9659.42	12848.58	(–3189.16)33.02%
एस.एस.पी. रोकड़ बही	2016–17	523.43	472.75	(50.68)9.68%	503.35	311.63	(191.72)38%
एस.एस.पी. रोकड़ बही	2017–18	545.04	469.82	(75.22)24.78%	550.41	304.53	(245.88)44.67%
एस.एस.पी. रोकड़ बही	**2018–19**	595.61	798.10	(–202.49)34%	588.79	760.10	(–171.31)29.10%
दूरस्थ शिक्षा	2016–17	197.79	174.36	(23.43)11.85%	175.31	39.91	(135.40)77.23%
दूरस्थ शिक्षा	2017–18	198.87	147.41	(51.46)25.88%	175.31	60.19	(115.12)65.67%
दूरस्थ शिक्षा	**2018–19**	129.81	165.42	(–35.61)27.43%	150.90	46.83	(–104.07)68.9%

बजट के आय–व्यय के प्रस्तावित एवं वास्तविक आंकड़ों में इतना अत्यधिक अंतर होना यह परिलक्षित करता है कि बजट पूर्व वर्षों के वास्तविक आंकड़ों को ध्यान में रखकर तैयार नहीं किया जाकर अव्यवहारिक/अवास्तविक रूप से तैयार किया गया है।

आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा उत्तर में बताया गया कि प्रथमतः बजट अनुमानित आय–व्यय के आधार पर तैयार किया जाता है जिसके फलस्वरूप आय–व्यय के आंकड़ों में अंतर होना एक स्वभाविक प्रकिया है। विश्वविद्यालय बजट में रूसा (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान) को प्रेषित प्रस्ताव रूपये 20 करोड़ एवं यू0जी0सी0 (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) द्वारा 12 वीं पंचवर्षीय योजनांतर्गत स्वीकृत राशि रूपये 12 करोड़ के आधार पर आय–व्यय में राशियां प्रावधानित की गई थीं परन्तु विगत वित्त वर्षों में उक्त राशियों के प्राप्त न होने के फलस्वरूप बजट के प्रस्तावित एवं वास्तविक आंकड़ों में अंतर के प्रतिशत में बढ़ोत्तरी दर्शित हो रही है।

उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि मुख्य रोकड़ बही में प्रस्तावित आय से वास्तविक आय 19.10 प्रतिशत अधिक एवं प्रस्तावित व्यय से वास्तविक व्यय 33.10 प्रतिशत अधिक हुआ है यदि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को प्रेषित प्रस्ताव रूपये 20 करोड़ एवं यू0जी0सी0 (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) द्वारा 12 वीं पंचवर्षीय योजनांतर्गत स्वीकृत राशि रूपये 12 करोड़ को प्रस्तावित बजट में शामिल कर लिया गया है तब भी राशि प्राप्त हुये बिना व्यय अधिक हुआ है वहीं एस.एस.पी.(सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम) एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के बजट में भी क्रमशः 29.10 प्रतिशत एवं 68.9 प्रतिशत का अंतर पाया गया है।

स्थिति विभागाध्यक्ष के ध्यान में लायी जाती है।

कंडिका 07:– निर्माण कार्य एवं उत्तर पुस्तिकाओं के निर्माण हेतु की गई निविदा में कम से स्टाम्प शुल्क की राशि कम लिया जाना राशि रूपये 46894/–

कार्यालय महानिरीक्षक पंजी एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्र. 1502/तकनीकी–11/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 के द्वारा वर्क कान्ट्रेक्ट के दस्तावेज पर स्टाम्प

स्टाम्प शुल्क चुकाये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे। जिसमें वर्क कान्ट्रेक्ट के दस्तावेज पर दिनांक 14.01.2016 से प्रभावशील प्रावधान के अनुसार न्यूनतम पाँच सौ रूपये तथा अधिकतम पच्चीस हजार रूपये के अध्यधीन रहते हुये ऐसे दस्तावेज द्वारा प्रतिभूत रकम अथवा मूल्य का 0.25 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया गया है।

कार्यालय कुल सचिव अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा की लेखापरीक्षा अवधि 07/2018 से 01/2020 के निर्माण कार्य संबंधी अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा महिला छात्रावास का प्रथम तल के निर्माण कार्य हेतु फर्म श्री मुकेश पांडे, सगरा रीवा को दिनांक 07.01.2017 को कार्यादेश जारी किया गया था। इस कार्य की अनुबंध राशि रूपये 61,45,834.50 एवं अनुबंध दिनांक 29.12.2016 थी। उक्त फर्म से स्टाम्प शुल्क की राशि रूपये मात्र 500/– ली गई है जबकि उपर्युक्त नियम के अनुसार संबंधित फर्म से स्टाम्प शुल्क की राशि रूपये 25000/– ली जानी चाहिये थी। इस प्रकार संबंधित फर्म से स्टाम्प शुल्क की राशि रूपये 24500/– कम ली गई है।

इसी प्रकार कार्यालय द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के निर्माण हेतु की गई निविदा में संबंधित फर्म से एम0 एल0 कन्वर्टर लखनउ उत्तरप्रदेश से दिनांक 30.11.2018 को अनुबंध किया गया था। इस कार्य की अनुबंध राशि रूपये 89,97,750.00 एवं अनुबंध दिनांक 29.12.2016 थी। उक्त फर्म से स्टाम्प शुल्क की राशि रूपये मात्र 100/– ली गई है जबकि उपर्युक्त नियम के अनुसार संबंधित फर्म से स्टाम्प शुल्क की राशि अनुबंध राशि रूपये 89,97,750.00रूपये का 0.25 प्रतिशत अर्थात राशि रूपये 22494/– ली जानी चाहिये थी। इस प्रकार संबंधित फर्म से स्टाम्प शुल्क की राशि रूपये 22394/–(22494–100) कम ली गई है।

इस प्रकार संबंधित फर्मों से कुल स्टाम्प शुल्क की राशि रूपये 46894 (24500+22394) कम ली गई है। स्टाम्प शुल्क की राशि कम लिये जाने से एक ओर शासन को राजस्व की हानि हुई वहीं दूसरी ओर संबंधित फर्म को अनाधिकृत रूप से लाभांवित किया गया ।

आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा उत्तर में बताया गया कि निर्माण कार्य हेतु निविदा दिनांक 04.03.2016 को जारी की गई। इस कारण से स्टाम्प शुल्क की राशि उक्तानुसार नहीं ली गई स्टाम्प शुल्क की राशि निविदा जारी करते समय प्रावधानानुसार/अनुबन्ध अनुसार रूपये 500/– ली गई है। अतः शासन को राजस्व की हानि एवं संबंधित फर्म को अनाधिकृत लाभ नहीं पहुँचाया गया है।

उत्तरपुस्तिका निर्माण हेतु की गई निविदा में संबंधित फर्म से भूलवश 22394/–रूपये का स्टाम्प शुल्क नहीं जमा हो पाया था, फर्म से स्टाम्प शुल्क जमा कराकर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जावेगा।

उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि शासन का स्टाम्प संबंधी आदेश दिनांक 14.01.2016 से प्रभावशील था। जिसका पालन किया जाना नहीं पाया गया है। स्थिति शासन/विभागाध्यक्ष के ध्यान में लाई जाती है।

कंडिका 08:– स्ववित्तीय कार्यक्रम का वर्ष 2018–19 एवं 04/19 से 01/2020 तक के बजट के आय–व्यय के आंकड़े शीर्षवार तैयार/प्रस्तुत नहीं किया जाना।

विश्वविद्यालय वित्तीय संहिता के नियम 146 के अनुसार बजट अनुमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली राशियों तथा किये जाने वाले भुगतान के अनुमानों के आधार पर तैयार किया जावेगा। इसमें दीर्घ तथा लघु शीर्षों में राशियाँ इस प्रकार दर्शायी जावेगी जिससे वित्तीय नियंत्रण संभव हो सके तथा राज्य शासन द्वारा चाही गई जानकारियाँ सुगमता से उपलब्ध हो सके। विभिन्न मदों के शीर्षक इस प्रकार निर्धारित किए जावेंगे, जिससे उसके उद्देश्य पर होने वाले आय–व्यय सुस्पष्ट हो सके।

कार्यालय कुल सचिव अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा की लेखापरीक्षा अवधि 07/2018 से 01/2020 के बजट संबंधी अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2018–19 एवं अवधि 04/2019 से 01/2020 तक के स्ववित्तीय कार्यक्रम के अनुमानित आय–व्यय बजट के शीर्षवार आंकड़े एवं वास्तविक आय–व्यय के शीर्षवार आंकड़े लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण लेखापरीक्षा द्वारा उक्त अवधि के स्ववित्तीय कार्यक्रम के बजट के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सका ।

आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर में ऑपरेशनल व्यय का 49 प्रतिशत एवं केपीटल व्यय की एक मुश्त राशि बतायी गयी है।

उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि विश्वविद्यालय वित्तीय संहिता के नियम के अनुसार विभिन्न मदों के शीर्षक इस प्रकार निर्धारित किए जावेंगे, जिससे उसके उद्देश्य पर होने वाले आय–व्यय सुस्पष्ट हो सके। उक्त का पालन किया जाना नहीं पाया गया है।

स्थिति विभागाध्यक्ष के ध्यान में लायी जाती है।

कंडिका 09 :–विश्वविद्यालय के स्टेडियम परिसर में स्थित दुकानों के किराये की बकाया राशि एवं ब्याज की राशि की वसूली न किया जाना राशि रू. 6.04 लाख।

कार्यालय कुलसचिव अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के स्टेडियम परिसर में निर्मित दुकानों को किराये पर दिया गया तथा संबंधितों के किरायेदारी अनुबंध सम्पादित कराये गये थे अनुबंध की कंडिका 9 के अनुसार दुकानों का मासिक किराया प्रत्येक दुकानदार को अगले माह की 10 तारीख तक जमा करना अनिवार्य होगा । निर्धारित किराया समय पर जमा न करने पर 18 प्रतिशत ब्याज (बैंक दर) देय होगा। अनुबंध की कंडिका 10 के अनुसार दुकानदारों द्वारा दुकानों का निर्धारित किराया समय पर जमा न करने पर विश्वविद्यालय एक माह का नोटिस देकर दुकानों का आधिपत्य निरस्त कर सकता है, और इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी दुकानदार की होगी। लेखापरीक्षा में प्रस्तुत विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किराया पंजी एवं अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि माह जनवरी 2020 की स्थिति में दुकान आवंटित किरायेदारों से काफी लम्बी अवधि (01 माह से 84 माह) किराये + ब्याज की कुल राशि रू. 382962/– बकाया थी। विस्तृत विवरण **अनुलग्नक** ड. में दर्शाया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा बकाया किराये की वसूली हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी और न ही अनुबंध की कंडिका 9 के अनुसार किरायेदारों से दुकान खाली कराकर अपने अधिपत्य में ली गयी। यदि उपरोक्त राशि समय रहते किरायेदारों से वसूल कर ली जाती तो इसका निर्धारित नियमों के अंतर्गत उपयोग करते हुये राजस्व प्राप्त किया जा सकता था। पूर्व लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 08/2012 से 09/2018 की कंडिका क्र. 13 में भी राशि रूपये 2.21 लाख की इसी प्रकार की आपत्ति ली गई थी। इस प्रकार कुल आक्षेपित राशि रूपये 6.04 लाख (2.21+3.83) हुई।

आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय द्वारा उत्तर में बताया गया कि राशियॉं संबंधितो से मय ब्याज के वसूली हेतु कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।

जमा न किये जाने के परिणामस्वरूप अनुबंध निरस्त की कार्यवाही की जा सकेगी।

उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि कार्यालय द्वारा दुकानों की किराया राशि वसूली किये जाने हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किये गये।

स्थिति विभागाध्यक्ष के ध्यान में लायी जाती है।

कंडिका 10:– रोकड़ बही शेष एवं बैंक शेष में अंतर की राशि का बैंक समाधान पत्रक तैयार नहीं किया जाना। परिणामस्वरूप दूरस्थ शिक्षा की रोकड़ बही में रोकड़ बही की अपेक्षा बैंक खातों में राशि कम पाया जाना अंतर राशि रू. 0.46 लाख तथा विश्वविद्यालय, स्ववित्तीय एवं एन.एस.एस. की रोकड बही एवं बैंक स्टेटमेंट में अंतर पाया जाना राशि 38.51 लाख।

विश्वविद्यालय वित्त संहिता नियम 17 के अनुसार धन एवं भण्डार का लेखा उचित रूप से रखा जाना चाहिये, एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय के पत्र क्र. एफ. –2–2/2009/नियम/चार दिनांक 20 अक्टूबर 2009 के अनुसार जिन अधिकारियों के पदनाम से बैंक खाते खोले गये हैं वह इन बैंक खातों में दर्ज शेष राशि का मिलान त्रैमासिक रूप से रोकड़ पुस्तक में दर्ज शेष राशि की प्रविष्टि से करें एवं रोकड़ पुस्तिका में प्रमाण पत्र अंकित किया जाना चाहिये।

विश्वविद्यालय वित्त संहिता नियम 13 के अनुसार व्यय पर समुचित नियंत्रण के लिये आय/व्यय का मासिक पत्रक अगले माह की 15 तारीख तक विभागाध्यक्षों द्वारा वित्त अधिकारी को भेजा जावेगा जो कुल सचिव के माध्यम से कुलपति को समग्र स्थिति से अवगत करावेंगे। ऐसा ही

पत्र स्ववित्तीय योजना तथा परियोजना के प्रभारी अधिकारियों द्वारा भी वित्त अधिकारी को प्रेषित किया जावेगा।

कार्यालय कुलसचिव अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के निम्नलिखित विभागों द्वारा लेखापरीक्षा अवधि 7/2018 से 1/2020 के उपलब्ध कराये गये रोकड़ बहियों की जांच में पाया गया कि उपरोक्त प्रावधानानुसार किसी भी माह एवं वर्ष के अंत में बैंक समाधान विवरण पत्रक तैयार नही किया गया है जिसक फलस्वरूप लेखापरीक्षा अवधि के अंतिम माह जनवरी 2020 के अंत में दिनांक 31.01.2020 की स्थिति में निम्नलिखित मदो से संबंधित रोकड बहियों के शेष एवं बैंक खातो के शेष मे अंतर पाया गया विवरण निम्नानुसार है।

क.	रोकड बही का नाम	बैंक का नाम एवं शाखा	बैंक खाता कमांक	बैंक अनुसार दिनांक 31.1.2020 की स्थिति में शेष	रोकडबही के अनुसार दिनांक 31.01.2020 की स्थिति में शेष	अंतर राशि
1	2	3	4	5	6	7(5-6)
1	दूरस्थ शिक्षा निधि	इलाहाबाद बैंक ए.पी. एस विश्वविद्यालय कैम्पस रीवा	21007683889	7517269.46	7563780.60	(-)46511.14
			कुल योग ऋणात्मक	7517269.46	7563780.60	(-)46511.14
2	विश्वविद्यालय निधि	इलाहाबाद बैंक ए.पी. एस विश्वविद्यालय कैम्पस रीवा	50165987041	1202280.00 506348.90	14626076.84	3503344.68
		इलाहाबाद बैंक ए.पी. एस विश्वविद्यालय कैम्पस रीवा	21007684963	74300000 8990792.62		
			योग	**16129421.52**	**14626076.84**	**3503344.68**
3	एन.एस.एस निधि	इलाहाबाद बैंक ए.पी. एस विश्वविद्यालय कैम्पस रीवा	21007683867	7802879.43	7547802.0	255077.43
4	स्ववित्तीय कार्यकम निधि	इलाहाबाद बैंक ए.पी. एस विश्वविद्यालय कैम्पस रीवा	21007684566	32018117.47	31925083.17	93034.30
			कुल योग धनात्मक	**57950418.42**	**54098962.01**	**3851456.41**

इस प्रकार दूरस्थ शिक्षा की रोकड़ बही में, रोकड़ बही की अपेक्षा बैंक खातों में राशि रू. 46511.14/– कम पायी गयी जो कि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है, तथा विश्वविद्यालय, स्ववित्तीय एवं एन.एस.एस. की रोकड बही के रोकड़ शेष की अपेक्षा बैंक में जमा राशि रू 3851456.41 अधिक पायी गयी । इस प्रकार उपरोक्त मदों की रोकड़ बही शेष एवं बैंक शेष में अंतर का समाधान पत्रक नहीं बनाया जाना कार्यालय के लेखाओं पर वित्तीय नियंत्रण के अभाव को दर्शाता है ।

आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय द्वारा उत्तर में बताया गया कि वर्तमान में मेंसर्स जैन व्ही0एण्ड कम्पनी से अनुबंध किया जाकर जारी कार्यादेश क्र0/वित्त 'अ'/2019/159 रीवा दिनांक 14.02.19 के माध्यम से बैंक समाधान विवरण पत्रक तैयार किया जा रहा है ।

उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि कार्यालय द्वारा बैंक समाधान पत्रक तैयार न किया जाकर वित्त विभाग के आदेशों का पालन किया जाना नहीं पाया गया है।

स्थिति शासन/विभागाध्यक्ष के ध्यान में लाई जाती है।

कंडिका 11:— सावधि जमाओं की राशि रोकड़ बही/लेखे से बाहर रखना राशि रू. 2913.00 लाख।

विश्वविद्यालय वित्त संहिता नियम 17 के अनुसार धन या भण्डार का उचित लेखा रखा जाना चाहिये।

कार्यालय कुल सचिव अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा द्वारा उपलब्ध कराये गये एफ.डी.आर पंजियों की जांच में पाया गया कि स्व वित्तीय कार्यकम निधि से 39 एफ.डी.आर राशि 219049298/—एवं दूरवर्ती शिक्षा निधि से लेखापरीक्षा अवधि तक 18 एफ.डी.आर राशि 72260857/—अतः कुल राशि रू. 291310155/—की एफ.डी.आर(स्ववित्तीय निधि एंव दूरवर्ती शिक्षा निधि) विश्वविद्यालय कैम्पस में स्थित इलाहाबाद बैंक में बनाये गये। परंतु इसे रोकड बहियों में अन्तिम व्यय के रूप मे दर्शाया जाकर इस राशि को लेखे से बाहर रखा गया जो कि अनियमित एवं आपत्तिजनक है। विवरण अनुलग्नक च में दर्शाया गया है। विश्वविद्यालय निधि से कितनी एफ.डी.आर बनवायी गयी है की जानकारी लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त सावधि जमा की राशियों को लेखे से बाहर रखना जहाँ एक ओर लेखानियम के विपरीत है वहीं दूसरी ओर उक्त राशि के दुरूपयोग/गबन की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

पूर्व लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन 8/12 से 6/2018 की कंडिका 08 में विश्वविद्यालय निधि से 127 एफ.डी.आर राशि रू. 633491460/— को रोकड़ बही से बाहर रखने संबंधी आपत्ति ली गयी थी किन्तु वर्तमान में विश्वविद्यालय निधि से कितनी एफ.डी.आर बनवायी गयी है, की जानकारी/ अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये है।

आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय द्वारा उत्तर में बताया गया कि सावधि जमाओं हेतु पृथक से पंजी संधारित की गई है, तथापि अंकेक्षण दल द्वारा प्रदाय सुझाव के अनुक्रम में भविष्य में पालन सुनिश्चित किए जाने हेतु टीप ग्रहीत की गई।

उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि सावधि जमा की राशि रोकड़ बही में ली जानी चाहिये थी जिसे रोकड़ से बाहर रखा गया जो कि लेखा नियमों के विपरीत है।

स्थिति शासन/विभागाध्यक्ष के ध्यान में लायी जाती है।

कंडिका 12:— विश्वविद्यालय में शैक्षणिक संवर्ग एवं अधिकारी /कर्मचारी संवर्ग के अधिकांश पद रिक्त रहना ।

उच्च शिक्षा प्रदाय करने की दृष्टि से स्थापित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय द्वारा संभाग के जिलों में स्थापित संबंद्ध महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय परिसर में संचालित विभिन्न अध्ययन संकायों यथा कला, विज्ञान, वाणिज्य, जीवविज्ञान, गृह विज्ञान, विधि, चिकित्सा, यान्त्रिकी इत्यादि के माध्यम से उच्च तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदाय की जा रही है। विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं प्रबंधकीय गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिये विश्वविद्यालय, प्रशासन/शासन द्वारा विभिन्न शैक्षणिक, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद स्वीकृत किये गये है । जिनकी स्थिति निम्नानुसार है—

क0	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	शैक्षणिक संवर्ग	73	21	52 (71.23%)
2.	अधिकारी संवर्ग प्रथम द्वितीय श्रेणी	11	8	3(27.27%)
3	तृतीय श्रेणी	213	131	82(38.88%)
4	चतुर्थ श्रेणी	144	96	48(33.33%)
	योग	**441**	**256**	**185**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रमुख रूप से शैक्षणिक संवर्ग में 71 प्रतिशत पद तथा अधिकारी संवर्ग प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में 27 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हुये हैं। अधिकारी संवर्ग में मुख्य रूप से उप—कुलसचिव, सहायक कुलसचिव के पद रिक्त पड़े हुये हैं। आगे शैक्षणिक संवर्ग की स्थिति निम्नानुसार थी —

क0	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	Professor	17	0	17 (100%)
2.	Associate Professor	21	03	18 (85.71%)
3.	Assistant Professor	35	18	17(48.57)
	Total	73	**21**	**52**

उपर्युक्त विषय में लेख है कि –

1. प्राध्यापक संवर्ग में 100 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हुये है। अतः विश्वविद्यालय में कोई भी प्राध्यापक कार्यरत नहीं है, तथा एसोसिएट प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक संवर्ग में क्रमशः 86 प्रतिशत एवं 49 प्रतिशत पद रिक्त है।
2. इसी प्रकार तृतीय श्रेणी संवर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में क्रमशः 39 प्रतिशत एवं 33 प्रतिशत पद रिक्त है।

अतः स्पष्ट है कि इतने वृहद स्तर पर प्राध्यापक तथा सह–प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के पद रिक्त रहने से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय की जा रही शैक्षणिक सेवा के सार्थक तथा गुणवत्तापूर्ण होने पर प्रश्नचिन्ह लगता है।

आपत्ति लिये जाने पर कार्यालय द्वारा उत्तर में बताया गया कि वर्तमान में प्राप्त, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक एफ–07–53/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 4 जनवरी 2020 के आधार पर रोस्टर निर्धारण समिति द्वारा संधारण की प्रक्रिया प्रारम्भ की जावेगी। समिति पूर्व से गठित है। अधिकारी संवर्ग पर पदस्थापना मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा की जाती है विश्वविद्यालय द्वारा धारित पदों का विवरण एकाधिकबार शासन को संज्ञान हेतु प्रेषित किया जा चुका है उक्त पदस्थापना हेतु विश्वविद्यालय दायित्वाधीन नहीं है। विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक पदों में म.प्र. शासन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, होने के कारण भी विश्वविद्यालय में तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त है।

उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि विश्वविद्यालय में इतने अधिक पद रिक्त होने से, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं कार्यालयीन गतिविधियाँ प्रभावित होती है।

स्थिति शासन/विभागाध्यक्ष के ध्यान में लायी जाती है।

कंडिका 13:– अभिलेख लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाना।

लेखापरीक्षा दल द्वारा ज्ञापन क्रमांक 36/14.02.2020, 39/14.02.2020, जारी किये जाने के पश्चात् भी निम्नलिखित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये।

1. आई.टी.एप्लीकेशन से संबंधित जानकारी (H.M.14)
2. पर्यावरण से संबंधित जानकारी (H.M.20)
3. लेजर(लेखा शाखा, स्ववित्तीय शाखा, दूरस्थ पाठ्यकम शाखा) (H.M.36,39)
4. मेंसर्स साइंटिफिक ट्रेडिंग कार्पोरेशन, को लेखापरीक्षा अवधि (07/2018 से 01/2020) भुगतान की गई राशि से संबंधित निविदा नस्ती/अभिलेख।(H.M.36)
5. फर्म अजय मिश्रा को लेखापरीक्षा अवधि (07/2018 से 01/2020)भुगतान की गई राशि से संबंधित निविदा नस्ती/अभिलेख।(H.M.36)
6. फर्म गुप्ता स्टोर्स (केमिकल सामग्री हेतु) को लेखापरीक्षा अवधि (07/2018 से 01/2020)भुगतान की गई राशि से संबंधित निविदा नस्ती/अभिलेख।(H.M.36)
7. इलेक्ट्रिकल्स रीवा को भुगतान की गई राशि से संबंधित निविदा नस्ती/अभिलेख।(H.M.36)
8. आजाद ट्रेडर्स को भुगतान की गई राशि से संबंधित निविदा नस्ती/अभिलेख। (H.M.36)

9. अवधि 04/2019 से 01/2020 तक के वास्तविक आय–व्यय के शीर्षवार आंकड़े (लेखा शाखा, स्ववित्तीय शाखा,दूरस्थ पाठ्यक्रम शाखा)(H.M.39)
10. स्ववित्तीय कार्यक्रम के अवधि वर्ष 2018–19 के वास्तविक आय–व्यय के शीर्षवार आंकड़े।(H.M.39)
11. वर्ष 2018–19 का संपरीक्षा प्रतिवेदन।(H.M.39)
12. प्रश्न पत्र मुद्रण संबंधी निविदा नस्तियाँ ।(H.M.39)
13. आई.टी.(सूचना प्राद्यौगिकी) से संबंधित जानकारी (H.M.49)

कृपया उपर्युक्त अभिलेख आगामी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

(ग) नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी जारी करना :–

लघु अनियमितताओं को सम्मिलित करते हुए एक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी पृथक से जारी की जा रही है। इसका पालन प्रतिवेदन इसकी प्राप्ति दिनांक से एक माह के भीतर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र–द्वितीय), कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्यप्रदेश, ऑडिट भवन, झाँसी रोड़, ग्वालियर –474002 को भेजने की व्यवस्था करें।

नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणियों के मुख्य बिंदु संक्षेप में नीचे दिये गये हैं:–

कंडिका 01(अ) :–सामान्य मद की रोकड़ बही के संधारण में पाई गई अनियमिततायें ।
कंडिका 02 :– व्हाउचिंग के दौरान पायी गयी कमियाँ।
कंडिका 03:– अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की स्ववित्तीय कार्यक्रम मद के रोकड़ बही एवं प्रमाणकों में पायी गयी अनियमितताऐं।
कंडिका 04:– कार्यालय में निष्क्रीय पड़े हुए वाहनों का अपलेखन नही किया जाना।
कंडिका 05 :– सेवा पुस्तिकाओं के संधारण में पायी गयी अनियमिततायें।
कंडिका 06 :– भंडार का भौतिक सत्यापन न किया जाना।
कंडिका 07 :– प्रशिक्षण आयोजित न किया जाना।
कंडिका 08 :– शिकायते लंबित रहना।
कंडिका 09:– प्रतिभूति राशि जमा न किया जाना।

(ख) पूर्व लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित कण्डिकाओं की स्थिति

(i) लेखापरीक्षा प्रारंभ करते समय पूर्व लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं की स्थिति निम्न प्रकार थी:–

स. क्र.	ले.प.निरी.प्राति.अवधि	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने का दिनांक	लंबित कंडिकायें
1	04/2010 से 07/2012		1, 2, 3अ, 3ब, 5, 6, 7अ, 7ब, 8, 9, 9ब, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21अ, 21ब, 22अ, 22ब, 23
2	08/2012 से 06/2018		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ii) वर्तमान लेखापरीक्षा मेंसमीक्षा के उपरान्त पूर्व लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों और लंबित कंडिकाओं की स्थिति निम्न प्रकार रहीं:–

क्र.	ले.प.निरी.प्रति.अवधि	निर्णित कंडिका	सम्मिलित की गई कंडिकाएं		शेष लंबित कंडिकाएं
			वर्तमान निरी.प्रति.में	वर्तमान नमूना जांच टिप्पणी में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	04/2010 से 07/2012	8			1, 2, 3अ, 3ब, 5, 6, 7अ, 7ब, 9, 9ब, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21अ, 21ब, 22अ, 22ब, 23
2	08/2012 से 06/2018	5, 8,	10,13,		1, 2, 3,4, 6, 7, 9, 11, 12, 14

उपर्युक्त सारणी के कॉलम–6 के अनुसार विभिन्न लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों में अंतिम बकाया कंडिकाओं की स्थिति **परिशिष्ट–क** में दर्शायी गई है।, इन पर विभागाध्यक्ष और सरकार को ध्यान देना आवश्यक है।

भाग–चार

सर्वोतम प्रथायें

निरंक

भाग–पाँच

आभारोक्ति

लेखापरीक्षा के अन्त में आयोजित समापन बैठक कार्यालय प्रमुख द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रथम उत्तर निर्धारित समय अवधि में प्रेषित कर दिये जाने का आश्वासन दिया गया।

Rashmi 13/5/2020

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ओ.ए.डी.–2

अनुलग्नक–क

पूर्व लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन की लंबित कंडिकाओं विवरण पत्रक

कुलसचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा

क	लेखा परीक्षा की अवधि	कं. कमा	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण
1.	2.	3.	4.
1	4/2010 से 7/2012	1	कम दरो पर अवधि में राशि जमा किये जाने से संस्था को राशि रू. 5.81 लाख की ब्याज की हानि।
		2	बैंक सेविंग में अनावश्यक जमा राशियो का आटो स्वीप न कराये जाने से संस्था को कम ब्याज दर प्राप्त होने से संस्था को राशि रू. 9.50 लाख राजस्व आय में कमी।
		3अ	छात्रो से प्राप्त बैंक ड्राफ्टो की राशि रू. 27.29 लाख बैंक खाते मे जमा होना नही पाया जाना।
		3ब	छात्रो से प्राप्त बैंक ड्राफ्टो की राशि रू. 444.92 लाख का बैंक में जमा होना नही पाया जाना।
		5	राशि रू. 48.17 लाख रोकड पंजी में अंतरण कम पाया जाना तथा अन्य कमियां।
		6	रोकड पंजी में राशि रू. 33.03 लाख ऋणात्मक शेष दर्शाया जाना।
		7अ	राशि रू. 2480.17 लाख की सावधि मे जमाओ को रोकड पंजी से बाहर रखना।
		7ब	प्राप्त ब्याज राशि रू. 87.79 लाख से कराई गई सावधि जमाओ को रोकड पंजी में दर्शाया न जाकर सीधे सावधि में अनियमित जमा कराई जाना।
		9	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी राशि रू. 461.49 लाख का निर्धारित समय पर व्यय न कर 67.68 प्रतिशत अवरूद्ध रखना।
		9ब	विभिन्न योजनाओ में संस्था को प्राप्त निधियों का व्यय न कर अवरूद्ध रखना। राशि रू. 584.02 लाख।
		10	वित्तीय नियमो की अवहेल्ना कर विभिन्न मदो पर स्वीकृत/प्राप्त राशि रू. 88.14 लाख का अधिक व्यय किया जान।
		12	विश्वविद्यालय अनुदन आयोग द्वारा स्वीकृत राशि रू. 63.60 लाख कम प्राप्त किये जने से व्यपगत होकर संस्था निध से राशि रू. 97.78 लाख अधिक व्यय किया जाना।
		13	अधिक दरो पर उत्तर पुस्तिकाओ का कय किये जाने से संस्था को राशि रू. 5.65 लाख का नुकसान।
		15	गैर शैक्षणिक अमले पर निर्धारित मान से राशि रू. 305.80 लाख का अधिक व्यय किया जाना।
		16	निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्यो का पूर्ण न किये जाने से अपूर्ण कार्यो पर व्यय की गई राशि 168.86 लाख अलाभकारी व्यय रहना।
		18	भण्डार सामग्री का केन्द्रीय कय न कर विभाग–वार अलग–अलग टुकडो में राशि रू. 38.68 लाख का कय किया जाना।

		19	विश्वविद्यालय की संपरीक्ष शुल्क का अनियमित एंव अधिक भुगतान राशि रू. 10.54 लाख व अन्य अनियमितताये।
		20	निजी वाहनो के किराये का गैर अनुमत्य भुगतान राशि रू. 12.37 लाख।
		21अ	परीक्षा विभाग के प्रश्नपत्र मुद्रण कार्य के अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के कारण राशि रू. 130.45 लाख का उपयोग सुनिश्चित न होना।
		21ब	विभिन्न कार्यो पर किये गये व्यय राशि रू. 148.63 लाख के अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से व्यय राशि का उपयोग सुनिश्चित न होना।
		22अ	विश्वविद्यालय की बैलेंस शीट तैयार न करायी जाने के कारण देयताये/संपत्तियां ज्ञात न होना।
		22ब	संस्था के परिक्षरेत्र का सीमांकन न कराया जाना।
		23	अभिलेख असंधारित रहना। 1.स्ववित्त पाठयकमों के अभिलेख। 2-civil work Development of campus 3- Convocation Exp. 4- Other Exp. From Grant received 5- Books & Equipments. 6. कम्प्यूटर साइंस विभाग 7.रसायन विभाग 8.जैव प्रौद्योगित विभाग 9. मनोवैज्ञानिक विभाग 10. व्यवसायिक अर्थ विभाग 11 स्पोटर्स एंव गेम्स 12 नर्सिंग कॉलेज के अभिलेख।
2	8/12 से 6/2018	1	ठेकेदार से निर्माण कार्य समय पर पूर्ण नही किये जाने के एवज में निर्धारित कम्पन्सेशन राशि की वसूली न किया जाना। संबंधित जिम्मेदारो से वसूल योग्य राशि रू. 25.89 लाख।
		2	ठेकेदार द्वारा ठेके की शर्त अनुसार तकनीकि अमला नियुक्त नही करने के एवज में ठेकेदार से निर्धारित शास्ति वसूली न कर उन्हे अनुचित लाभ पहुचॉना। संबंधित जिम्मेदारो से वसूली योग्य राशि रू. 51.00 लाख।
		3	अधिक दर पर उत्तर पुस्तिकाओ का कय किये जाने से संस्था को हानि। संबंधित जिम्मेदारो से वसूली योग्य राशि रू. 7.56 लाख।
		4	विश्वविद्यालय निधि से शासकीय सेवको के वेतन भत्तो का अनिर्धमित भुगतान किये जाने के कारण संस्था के राजस्व में राशि रू. 14329.44 लाख की कमी।
		6	रोकड पंजी शेष एंव बैंक शेष में अंतर राशि का बैंक समाधान पत्रक तैयार नही किया जाना । ऋणात्मक अंतर राशि रू. (-) 58.40 लाख तथा धनात्मक अंतर राशि रू. 84.20 लाख।
		7	सावधि जमाओ की राशि रोकड पंजी/लेखे से बाहर रखना । राशि रू. 8372.09 लाख ।

		9	वर्ष 2017–18 में उत्तर पुस्तिकाओं का अनियमित कय राशि रू. 79.85 लाख।
		11	वाहनो का अनियमित कय राशि रू. 40.49 लाख।
		12	11वीं पंचवर्षीय योजना के सम्मिलित योजना(Merged Scheme)अंतर्गत यू.जी.सी से प्राप्त राशि का समुचित उपयोग नही किये जाने से हितग्राही लाभान्वित न होना। यू.जी.सी को वापिस राशि रू. 20.74 लाख एंव अनुपयोगिता राशि पर ब्याज की राशि रू. 11.11 लाख वापस न किया जाना।
		14	अप्रस्तुत एंव असंधारित अभिलेख। निम्नलिखित अभिलेख बार–बार मांगे जाने के बावजूद अप्रस्तुत रहेः– 1. प्रश्नपत्र मुद्रण/कय से संबंधित नस्तियां, टेंडर डाक्यूमेंट, स्टॉक पंजी एंव अन्य संधारित अभिलेख। 2. छात्रावास से संबंधित अभिलेख। 3. विश्वविद्यालय , स्ववित्त एंव दूरवर्ती कार्यकम अंतर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यकम के विभागों के अभिलेख। 4. एन.एस.एस कार्यकम अतग्रत किये गये व्यय से संबंधित व्यय व्हाउचर एंव अन्य संधारित अभिलेख।

सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/एल ए पी 17